

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
वाह्य सहायतित परियोजना खण्ड,
लो0नि0वि0, बहराईच

पत्रांक: 223/1C/2023
सेवा में,

दिनांक: 11/08/2023

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

विषय: विश्व बैंक पोषित कोर रोड नेटवर्क परियोजना अन्तर्गत गोला-शाहजहापुर मार्ग (एस0एच0-93) के चौड़ीकरण हेतु लखीमपुर में कि0मी0 0.000 से 49.000 तक चौड़ीकरण हेतु 1.998 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं 47.1 हे0 संरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल 49.098 हे0 वन भूमि तथा शाहजहापुर में कि0मी0 49.000 से 59.000 तक 8.000 हे0 संरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल 57.098 हे0 वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग हेतु एवं उस पर अवस्थित कुल 6275 वृक्षों/पौधों (दक्षिणी खीरी वन प्रभाग में 5458 एवं शाहजहापुर वन प्रभाग में 817 वृक्ष) के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ: 1. भारत सरकार का पत्रांक 8बी/यू0पी0/06/109/2016/एफ0सी0/221 दिनांक 30.06.2023

2. आपका पत्रांक 12/11-सी-FP/UP/Road/13414/2015 दिनांक 04.07.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों के क्रम में अवगत कराना है कि आपके संदर्भित पत्रांक दि0 30.06.2023 के अनुपालन में कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, दक्षिण खीरी वन प्रभाग खीरी ने अपने पत्रांक 206/33-1 दिनांक 15.07.2023 तथा कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी वन एवं वन्य जीव प्रभाग शाहजहापुर ने अपने पत्रांक 407/14-1 दिनांक 10.08.2023 के द्वारा अनुपालन आख्या प्रेषित की है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। यूजर एजेन्सी द्वारा उपरोक्त आख्या PARIVESH portal पर अपलोड कर दी गयी है।

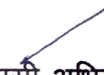
अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति (स्टेज-2) प्रदान करने हेतु भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ को अनुरोध करने की कृपा करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।


अधिशासी अभियन्ता,
वाह्य सहायतित परियोजना खण्ड
लो0नि0वि0, बहराईच

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वन महा निरीक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति (स्टेज-2) प्रदान करने की कृपा करें।
2. मुख्य अभियन्ता, वाह्य सहायतित परियोजना, लो0नि0वि0, लखनऊ।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विश्व बैंक योजना वृत्त, लो0नि0वि0, लखनऊ।
4. श्रीमती ज्योति कटियार, सहायक अभियन्ता, वाह्य सहायतित परियोजना खण्ड, लो0नि0वि0, बहराईच को इस आशय से प्रेषित है कि संबंधित से संपर्क कर आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।


अधिशासी अभियन्ता,
वाह्य सहायतित परियोजना खण्ड
लो0नि0वि0, बहराईच



भारत सरकार
Government of India
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Integrated Regional Office, Lucknow



केन्द्रीय भवन, ग्यारवां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 11th Floor, Sector H, Aliganj, Lucknow-226024, Phone No : 0522-2326696
Email : roc2.iko-mef@nic.in, goimocfoitko@gmail.com

पत्र सं० : 8बी/यू0पी0/06/109/2016/एफ.सी./23

दिनांक : 30.06.2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
17, राणा प्रताप मार्ग,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/ROAD/13414/2015

विषय: विश्व बैंक पोषित उ0प्र0 कोर रोड नेटवर्क परियोजना के अन्तर्गत गोला शाहजहांपुर मार्ग (एस0एच0-93) के चौड़ीकरण हेतु लखीमपुर में 0.000 से 49.00 तक चौड़ीकरण हेतु 1.998 हे० आरक्षित वनभूमि एवं 47.1 हे० संरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 49.098 हे० वनभूमि तथा शाहजहांपुर में किमी० 49.000 से 59.000 तक 8.00 हे० संरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल 57.098 हे० वनभूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित कुल 6275 वृक्षों/पौधों (दक्षिणी खीरी वन प्रभाग में 5458 एवं शाहजहांपुर वन प्रभाग में 817 वृक्ष) के पातन की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ: मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी का पत्रांक 3741/11-सी-FP/UP/Road/13414/2015, दिनांक 26.05.2023

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सचिव (वन), उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक पी-172/14-2-2016-800(171)/2016, दिनांक 30.11.2016 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के सम-संख्यक पत्र दिनांक 17.11.2022 द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर आवश्यक जानकारी/सूचना मांगी गयी थी, जिसकी अनुपालना उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के माध्यम से प्रेषित की गयी है। प्रेषित अनुपालना पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना/जानकारी इस कार्यालय में उपलब्ध कराएं ताकि प्रकरण में आगे की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके:-

1. Status of plantation activity on the proposed CA land area between period 2017-2023 is still not clear. This needs clarification.

भवदीय,

(डॉ० प्रणय मिश्रा)
सहायक वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):

1. अति० मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0प्र0।
3. वन संरक्षक, बरेली वृत्त, बरेली।
4. प्रभागीय निदेशक/वनाधिकारी, दक्षिणी खीरी एवं शाहजहांपुर।
5. मुख्य अभियंता, वाह्य सहाय्यतित परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
6. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

(डॉ० प्रणय मिश्रा)
सहायक वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक- 12 /11-सी-FP/UP/Road/13414/2015, लखनऊ, दिनांक: जुलाई 04, 2023

प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ एवं वन संरक्षक, बरेली वृत्त, बरेली को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्ति का निराकरण कर वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख ऑनलाईन अपलोड कराकर इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि- प्रभागीय निदेशक/वनाधिकारी, दक्षिणी खीरी एवं शाहजहांपुर को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्ति का निराकरण कर वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख ऑनलाईन अपलोड कराकर इस कार्यालय को मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि- मुख्य अभियन्ता, वाह्य सहाय्यतित परियोजना, लो०नि०वि०, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, दक्षिण खीरी वन प्रभाग

पत्रांक- 206 /33-1, दिनांक: लखीमपुर-खीरी : 15 /07/ 2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
लखनऊ मण्डल,
उ०प्र० लखनऊ।

विषय :-

विश्व बैंक पोषित उ०प्र० कोर रोड नेटवर्क परियोजना अन्तर्गत गोला-शाहजहांपुर मार्ग (एस०एच०-९३) के चौड़ीकरण हेतु लखीमपुर में कि०मी० ०.००० से ४९.००० तक चौड़ीकरण हेतु १.९९८ हे० आरक्षित वनभूमि एवं ४७.१ हे० संरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल ४९.०९८ हे० वनभूमि तथा शाहजहांपुर में कि०मी० ४९.००० से ५९.००० तक ८.००० हे० संरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल ५७.०९८ हे० वनभूमि गैर यानिकी प्रयोग हेतु एवं उस पर अवस्थित कुल ८२७५ वृक्षों/पौधों (दक्षिण खीरी वन प्रभाग में ५४५८ वृक्ष एवं शाहजहांपुर वन प्रभाग में ८१७ वृक्ष) के पालन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :-

भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र) की पत्र संख्या : ८वीं/यू०पी०/०६/१०९/२०१६/एफ०सी०/२२१ दिनांक ३०.०६.२०२३ पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ०प्र० लखनऊ की पृष्ठांकन संख्या : १२/११-सी-एफ/एफ/UP/Road/13414/2015 दिनांक ०४.०७.२०२३

महोदया,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के द्वारा विषयक परियोजना में एक बिन्दु की लगाई गई आपत्ति का निराकरण निम्नवत् प्रेषित है :-

क्र०सं०	भारत सरकार द्वारा लगायी गयी शर्त	अनुपालन आख्या
1	2	3
1	Status of plantation activity on the proposed CA land area between period 2017-2023 is still not clear. This need clarification,	विषयक परियोजना में क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र सैदापुर कं० ४ क्षेत्रफल ५.०० हे० में किसी प्रकार की वृक्षारोपण सम्बन्धी गतिविधि नहीं की गयी। चयनित क्षेत्र में उपरोक्त विषयक परियोजना से सम्बन्धित ही वृक्षारोपण कराया जायेगा।

अतः आख्या अग्रेतर कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

भवदीय

(संजय कुमार विश्वाल)
प्रभागीय वनाधिकारी
दक्षिण खीरी वन प्रभाग

पत्रांक : 206 /उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि :- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ०प्र० लखनऊ को सूचनाार्थ प्रेषित।

(संजय कुमार विश्वाल)
प्रभागीय वनाधिकारी
दक्षिण खीरी वन प्रभाग

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, वन एवं वन्य जीव प्रभाग, शाहजहांपुर।

पत्रांक 487/14-1 शाहजहांपुर

दिनांक 10/08/2023

सेवा में,

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
वन एवं वन्य जीव बरेली वृत्त, बरेली

विषय :-

विश्व बैंक पोषित उ0प्र0 कोर रोड नेटवर्क परियोजना के अन्तर्गत गोला-शाहजहांपुर मार्ग (एस0एच0-93) के चौड़ीकरण हेतु लखीमपुर में 0.00 से 49.00 तक चौड़ीकरण हेतु 1.998 हे0 आरक्षित वनभूमि एवं 47.1 हे0 संरक्षित वनभूमि कुल 49.098 हे0 वन भूमि तथा शाहजहांपुर में किमी0 49 से 59 तक 8.00 हे0 संरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 57.098 हे0 वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस अवस्थित 6275 वृक्षों/पौधों (दक्षिण खीरी वन प्रभाग में 5458 वृक्ष एवं शाहजहांपुर वन प्रभाग में 817 वृक्ष) के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में आनलाइन प्रस्ताव संख्या FP/UP/Road/13414/2015

सन्दर्भ :-

भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय का पत्रांक 8वीं/यू0पी0/06/109/2016/एफ0सी0/2021 दिनांक 30-06-2023 एवं मुख्य वन संरक्षक नोडल अधिकारी का पत्रांक 12/11-सी0 दिनांक 04-07-2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में दिये गये निर्देशानुसार विषयक प्रकरण में प्रभाग स्तर से वांछित बिन्दु सं0-1 की सूचना निर्धारित प्रपत्र में निम्नवत है एवं 03 प्रतियों में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

Condition No.	Conditions	Status of Compliance
1	Status of plantation activity on the proposed CA land area between period 2017-2023 is still not clear. This needs clarification.	उप निदेशक बफर जोन दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी के पत्रांक 486/14-1 दिनांक 1-08-2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि विषयक परियोजना में क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु चयनित वन क्षेत्र सुल्तानपुर (गुलराही) का क्षे0 16 हे0 में किसी भी प्रकार की वृक्षारोपण सम्बंधी गतिविधि नहीं की गयी है। चयनित क्षेत्र में उपरोक्त विषयक परियोजना से सम्बंधित वृक्षारोपण कराया जायें। पत्र की प्रति संलग्न है। (संलग्नक-1)

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(प्रखर गुप्ता)

प्रभागीय वनाधिकारी,
वन एवं वन्य जीव प्रभाग,
शाहजहांपुर।

पत्रांक / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0 प्र0 लखनऊ।

2- अधिशासी अभियन्ता, वाहय सहायतित परियोजना खण्ड लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

(प्रखर गुप्ता)

प्रभागीय वनाधिकारी,
वन एवं वन्य जीव प्रभाग,
शाहजहांपुर।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तर खीरी वन प्रभाग/
उप निदेशक (बफर जोन), दुधवा टाइगर रिजर्व, लखीमपुर-खीरी।

पत्रांक ५४६/१४-१

: दिनांक: लखीमपुर-खीरी

जुलाई ०१/८/२०२३

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
वन एवं वन्य जीव प्रभाग,
शाहजहांपुर।

विषय :-

विश्व बैंक पोषित उ०प्र० कोर रोड नेटवर्क परियोजना के अन्तर्गत मोला-शाहजहांपुर मार्ग (एस०एच०-९३) के चौड़ीकरण हेतु लखीमपुर में ०.०० से ४९.०० तक चौड़ीकरण हेतु १.९९८ हे० आरक्षित वनभूमि एवं ४७.१ हे० संरक्षित वनभूमि कुल ४९.०९८ हे० वन भूमि तथा शाहजहांपुर में किमी० ४९ से ५९ तक ६.०० हे० संरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल ५७.०९८ हे० वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस अवस्थित ६२७६ वृक्षों/पौधों (दक्षिण खीरी वन प्रभाग में ६४५८ वृक्ष एवं शाहजहांपुर वन प्रभाग में ८१७ वृक्ष) के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या FP/Up/Road/13414/15

सन्दर्भ :-

भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय का पत्रांक ८बी/यू०पी०/०६/१०९/२०१६/एफ०सी०/२२१ दिनांक ३०.०६.२०२३ एवं मुख्य वन संरक्षक नोडल अधिकारी का पत्रांक १२/११-सी दिनांक ०४.०७.२०२३ एवं आपका पत्रांक-११५/१४-१ दिनांक १०.०७.२०२३।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के द्वारा विषयक परियोजना में बिन्दु सं० ०१ में लगाई गयी आपत्ति का निराकरण निम्नवत् प्रेषित है :-

भारत सरकार द्वारा लगायी गयी आपत्ति	अनुपालन आख्या
Status of plantation activity on the proposed CA Land area between period 2017-2023 is still not clear. This needs clarification.	विषयक परियोजना में क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु चयनित वन क्षेत्र सुल्तानपुर (गुलराही) का क्षेत्रफल १६.०० हे० में किसी प्रकार की वृक्षारोपण सम्बन्धी गतिविधि नहीं की गयी है। चयनित क्षेत्र में उपरोक्त विषयक परियोजना से सम्बन्धित वृक्षारोपण कराया जायेगा।

भवदीय,

(सौरीष सहाय)

प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तर खीरी वन प्रभाग/
उप निदेशक, बफर जोन, दुधवा टाइगर रिजर्व,
लखीमपुर-खीरी।

पत्रांक-५४६/उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ को सन्दर्भित पत्र के क्रम में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, बाह्य सहायतित परियोजना खण्ड लो०नि०वि० विभाग लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(सौरीष सहाय)

प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तर खीरी वन प्रभाग/
उप निदेशक, बफर जोन, दुधवा टाइगर रिजर्व,
लखीमपुर-खीरी।